उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला।
(समाज कल्याण शाखा)

पत्रांक → 696
दिनांक → 24/07/2021

सूचना

विषयः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध केन्द्र प्रायोजित योजना समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (Integrated Program for Senior Citizens/Older Persons) के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में वरिष्ठ नागरिक गृहों/वृद्धजन गृहों (Old-Age Homes) के संचालन हेतु अर्हता प्राप्त इच्छुक स्वंय सेवी संस्थाओं (Non-Government Organizations-NGOs) से e-Anudaan portal पर online प्रस्ताव प्राप्त करने के संबंध में।

सूचित किया जाता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध केन्द्र प्रायोजित योजना समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (Integrated Program for Senior Citizens/Older Persons) का झारखण्ड राज्य में कार्यान्वयन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में वरिष्ठ नागरिक गृहों/वृद्धजन गृहों (Old-Age Homes) का संचालन करवाया जाना है।

इस हेतु अर्हता प्राप्त इच्छुक स्वंय सेवी संस्थायें (Non-Government Organizations-NGOs) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के e-Anudaan portal (https://grants-msje.gov.in/ngo-login) पर केन्द्र प्रायोजित योजना समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (Integrated Program for Senior Citizens/ Older Persons) के अन्तर्गत online प्रस्ताव समर्पित कर सकते हैं।

समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (Integrated Program for Senior Citizens/ Older Persons) से संबंधित संक्षिप्त संबंधित सूचनायें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के e-Anudaan portal (https://grants-msje.gov.in/ngo-login) से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

कृपया ध्याद दें कि e-Anudaan portal पर प्रस्ताव समर्पित करने हेतु आवेदक स्वंय सेवी संस्था को प्रथमतः इस portal पर स्वंय को पंजीकृत करना होगा। तदोपरांत प्राप्त user-id एवं password का प्रयोग कर e-Anudaan portal पर NGO login के अन्तर्गत प्रस्ताव समर्पित किये जा सकते हैं। e-Anudaan portal पर पंजीकृत होने हेतु एक अनिवार्य शर्त यह है कि आवेदक स्वंय सेवी संस्था नीति आयोग के NGO-Darpan Portal (https://ngodarpan.gov.in) पर पंजीकृत हो। NGO-Darpan Portal पर पंजीकरण के उपरांत प्राप्त होने वाले unique-id की आवश्यकता e-Anudaan portal पर पंजीकृत होने के लिये आवश्यक है।

अर्हता प्राप्त स्वंय सेवी संस्थायें (NGOs) उक्त विवरण के अनुरूप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध केन्द्र प्रायोजित योजना समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (Integrated Program for Senior Citizens/ Older Persons) के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में वरिष्ठ नागरिक गृहों/वृद्धजन गृहों (Old-Age Homes) के संचालन हेतु online प्रस्ताव e-Anudaan portal पर दिनांक 31.07.2021 तक समर्पित कर सकते हैं।

24/7/21

जिला समाज कल्याण पदधिकारी
गुमला